THE RAJASTHAN CIVIL COURTS (AMENDMENT) BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2014.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment of section 5, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 5 of the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950 (Ordinance No. 7 of 1950), hereinafter referred to as the principal Ordinance,-
 - (i) in sub-section (2), for the existing expression " "Court of Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" and to "Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" ", the expression " "Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" and to "Civil Judge/Additional Civil Judge" "shall be substituted; and
 - (ii) in sub-section (3), for the existing expression " "Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" or the "Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" and the "Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge (Junior Division)" or the "Civil Judge/Additional Civil Judge (Junior Division)" ", the expression " "Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" or the "Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" and the "Court of the Civil Judge/

Additional Civil Judge" or the "Civil Judge/ Additional Civil Judge" " shall be substituted.

- **3.** Amendment of section 6, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 6 of the principal Ordinance, for the existing clauses (3) and (4) of section 6, the following shall be substituted, namely:-
 - "(3) the Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge; and
 - (4) the Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge.".
- 4. Amendment of section 7, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 7 of the principal Ordinance, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" or "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)" or "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring in sub-sections (2), (3) and (4), the expressions "Senior Civil Judge" or "Senior Civil Judges" and "Civil Judge" or "Civil Judges" shall be substituted respectively.
- 5. Amendment of section 11, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 11 of the principal Ordinance, for the existing expression "Civil Judge (Senior Division)", wherever occurring in sub-sections (1) and (2), the expression "Senior Civil Judge" shall be substituted.
- 6. Amendment of section 12, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 12 of the principal Ordinance and in sub-sections (1) and (2) thereof, for the existing expressions "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judges" and "Civil Judges" shall be substituted respectively.
- 7. Amendment of section 12-A, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 12-A of the principal Ordinance and in sub-sections (1) and (2) thereof, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" or "Civil

Judges (Senior Division)", "Additional Civil Judge (Senior Division)" or "Additional Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)" or "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judge" or "Senior Civil Judges", "Additional Senior Civil Judge" or "Additional Senior Civil Judges" and "Civil Judge" or "Civil Judges" shall be substituted respectively.

- **8.** Amendment of section 13, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 13 of the principal Ordinance and in section itself, for the existing expression "Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expression "Senior Civil Judges and Civil Judges" shall be substituted.
- 9. Amendment of section 14, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 14 of the principal Ordinance and in sub-sections (1), (3) and (4) thereof, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judge" and "Civil Judge" shall be substituted.
- 10. Amendment of section 19, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- For the existing section 19 of the principal Ordinance, the following shall be substituted, namely:-
 - "19. Jurisdiction of other Civil Courts.- (1) Subject as aforesaid,-
 - (i) the Court of a Senior Civil Judge shall have jurisdiction to hear and determine any suit or original proceedings of a civil nature of which the value does not exceed five lakh rupees, and
 - (ii) the Court of a Civil Judge shall have jurisdiction to hear and determine any suit or original proceedings of which the value does not exceed two lakh rupees.

- (2) Notwithstanding anything contained in subsection (1), the suits or proceedings already instituted on the date of commencement of the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2014 (Act No. of 2014) may be heard and determined by the same court wherein such suit or proceeding has been instituted.".
- 11. Amendment of section 21, Rajasthan Ordinance No.7 of 1950.- In section 21 of the principal Ordinance,-
 - (i) in the marginal heading, for the existing expression "Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division)", the expression "Senior Civil Judges and Civil Judges" shall be substituted;
 - (ii) in sub-section (1), for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" and "fifty thousand rupees", the expressions "Senior Civil Judge" and "five lakh rupees" shall be substituted; and
 - (iii) in sub-sections (2) and (4), for the existing expressions "Civil Judge (Junior Division)" and "Civil Judge (Senior Division)", wherever occurring, the expressions "Civil Judge" and "Senior Civil Judge" shall be substituted respectively.
- 12. Amendment of section 22, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 22 of the principal Ordinance and in sub-section (1) thereof, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" or "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judge" or "Senior Civil Judges" and "Civil Judges" shall be substituted respectively.
- 13. Amendment of section 23, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 23 of the principal Ordinance and in sub-sections (1), (3) and (4) thereof, for the existing expression "Civil Judge (Senior Division)", wherever occurring, the expression "Senior Civil Judge" shall be substituted.

14. Amendment of section 24, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 24 of the principal Ordinance and in the section itself, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" or "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)" or "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judge" or "Senior Civil Judges" and "Civil Judge" or "Civil Judges" shall be substituted respectively.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Having regard to the fact that more than two decades have passed after the last amendment in the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950 regarding pecuniary jurisdiction, the pecuniary jurisdiction assigned to the civil courts requires a revisit. Also, the present nomenclature of the civil courts/posts requires to be replaced.

Hon'ble the High Court of Rajasthan in its Full Court meeting held on 05-04-2014 considered both the above matters i.e. revisiting the pecuniary jurisdiction of the civil courts and change in the nomenclature of the courts/posts. Therefore, the State Government, in pursuance of the resolution passed in the Full Court meeting, has proposed to amend suitably the relevant provisions of the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

> वसुन्धरा राजे, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CIVIL COURT ORDINANCE, 1950

(Ordinance No. 7 of 1950)

XX	XX	XX	XX	XX	XX

- 5. Saving Clause.- (1) xx xx xx xx xx
- (2) References in any enactment or document for the time being in force to the "Court of the Subordinate Judge" and to "Subordinate Judge" shall be deemed to have been made respectively to the "Court of Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" and to "Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" as constituted and appointed or deemed as constituted and appointed under this Ordinance.
- (3) References in any enactment, document, judgement, decree, order or other proceedings of any Court, for the time being in force, to the "Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge" or the "Civil Judge/Additional Civil Judge" and the "Court of the Munsiff/Additional Munsiff" or the "Munsiff/Additional Munsiff" shall be deemed to have been made respectively to the "Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" or the "Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" and the "Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge (Junior Division)" or the "Civil Judge/Additional Civil Judge (Junior Division)" as constituted or appointed or deemed as constituted or appointed under this Ordinance.
- **6.** Classes of Courts.-There shall be the following classes of Subordinate Civil Courts in the State of Rajasthan, namely:-
 - $(1) to (2) \qquad xx \qquad xx \qquad xx \qquad xx$
 - (3) the Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division); and
 - (4) the Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge (Junior Division).
- 7. Power to fix and alter local limits of the jurisdiction of Courts.- (1) The State Government may, by notification in the

Official Gazette fix and alter the local limits of the jurisdiction of any Civil Court under this Ordinance.

- (2) If the same local jurisdiction is assigned to two or more Civil Judges (Senior Division) or two or more Civil Judges (Junior Division), the District Judge may assign to each of them, such civil business cognizable by the Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division), as the case may be, as, subject to any general or special orders of the High Court, he think fit.
- (3) When civil business arising in any local area is assigned by the District Judge under sub-section (2) to one or two or more Civil Judge (Senior Division), or to one or two or more Civil Judges (Junior Division), a decree or order passed by the Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division) shall not be invalid by reason only of the case in which it was made having arisen wholly or in part in a place beyond the local area if that place is within the local limits fixed by the State Government under sub-section (1).
- (4) A Judge of Court of Small Causes appointed to be also a Civil Judge (Senior Division) is a Civil Judge (Senior Division) within the meaning of this section.

11. Temporary charge of office of District Judge.- (1) In the event of the death, resignation or removal of a District Judge or of his being incapacitated by illness or otherwise for the performance of his duties, or of his absence from the place at which his Court is held an Additional Judge of his Court or if no Additional Judge has been appointed for that Court or is present at that place, the Civil Judge (Senior Division) if there be only one, and if there be more than one, the Civil Judge (Senior Division) who is senior in respect of date of appointment as Civil Judge (Senior Division), present thereat, shall, without relinquishing his ordinary duties, assume charge of the office of the District Judge and shall continue in charge thereof until the office is resumed by the District Judge or assumed by an officer duly appointed thereto.

(2) While incharge of the office of the District Judge the Additional Judge or Civil Judge (Senior Division), as the case may be, may, subject to any rules which the High Court may make in this behalf, exercise the powers of the District Judge.

- 12. Power to fix number of Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division).- (1) The State Government may fix and from time to time alter the number of Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division) to be appointed for the whole of the State of Rajasthan.
- (2) The number of Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division) working at the commencement of this Ordinance shall, until varied, be the number so fixed under subsection (1).
- 12-A. Appointment of Additional Civil Judges (Senior Division) or Civil Judges (Junior Division).- For the purpose of assisting any Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division) in the disposal of the civil business on his file, the High Court may appoint a member of Rajasthan Judicial Service, while he is not officiating in any leave vacancy and is not on deputation, to be an Additional Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division).
- (2) An Additional Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division) so appointed, shall dispose of such Civil business within the limits of his pecuniary jurisdiction, as may be transferred to him by the District Judge.
- 13. Appointment of and Vacancies among Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division). Appointments of persons to be Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division) shall be made by the Governor in accordance with rules made by him in this behalf after consultation with the Rajasthan Public Service Commission and with the High Court.

- 14. Transfer of proceedings on vacation of office by Civil Judge (Senior Division).- (1) In the event of the death, resignation or removal of a Civil Judge (Senior Division) or a Civil Judge (Junior Division), or of his being incapacitated by illness or otherwise for the performance of his duties, or of his absence from the place at which his Court is held, the District Judge may transfer all or any of the proceedings pending in the Court of the Civil Judge (Senior Division) or the Civil Judge (Junior Division) either to his own Court or to any Court under his administrative control competent to dispose of them.
- (2) Proceedings transferred under sub-section (1), shall be disposed of as if they had been instituted in the Court to which they are so transferred.
- (3) Provided that the District Judge may transfer to the Court of the Civil Judge (Senior Division) or the Civil Judge (Junior Division) or his successor any proceedings transferred under sub-section (1) to his own or any other Court.
- (4) For purposes of proceedings which are not pending in the Court of the Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division) on the occurrence of an event referred to in subsection (1), and with respect to which that Court has exclusive jurisdiction, the District Judge may exercise all or any of the jurisdiction of that Court.

XX XX XX XX XX XX

- 19. Jurisdiction of other Civil Courts.- Subject as aforesaid,-
 - (i) the Court of a Civil Judge (Senior Division) shall have jurisdiction to hear and determine any suit or original proceedings of a civil nature of which the value does not exceed fifty thousand rupees, and
 - (ii) the Court of Civil Judge (Junior Division) shall have jurisdiction to hear and determine any suit or original proceedings of which the value does not exceed twenty five thousand rupees.

- **21. Appeals from Civil Judges (Senior Division)** and **Civil Judges (Junior Division).-** (1) Save as aforesaid, an appeal from a decree or order of a Civil Judge (Senior Division) shall lie-
 - (a) to the District Judge where the value of original suit in which or in any proceedings arising out of which the decree or order was made, does not exceed fifty thousand rupees; and
 - (b) to the High Court in any other case.
- (2) Save as aforesaid, an appeal from a decree or order of a Civil Judge (Junior Division) shall lie to the District Judge.
 - (3) xx xx xx xx xx
- (4) The High Court may, with the previous sanction of the State Government, direct by notification in the Official Gazette that appeals lying to the District Judge under sub-section (2) from all or any of the decrees or orders of any Civil Judge (Junior Division) shall be preferred to the Court of such Civil Judge (Senior Division) as may be mentioned in the Notification and appeals shall thereupon be preferred accordingly.
- **22.** Power to transfer to Civil Judges (Senior Division) appeals from Civil Judges (Junior Division).- (1) A District Judge may transfer to any Civil Judge (Senior Division), under his administrative control, any appeal pending before him from the decrees or orders of Civil Judges (Junior Division).
- 23. Exercise by Civil Judge (Senior Division) of Jurisdiction of District Court in certain proceeding.— (1) The High Court may, by general or special order, authorise any Civil Judge (Senior Division) to take cognizance of or any District Judge to transfer to a Civil Judge (Senior Division) under his control, any of the proceedings next hereinafter mentioned or any class of those proceedings specified in the order.
 - (2) xx xx xx xx xx

- (3) The District Judge may withdraw any such proceedings taken cognizance of by, or transferred to, a Civil Judge (Senior Division) and may either himself dispose of them or transfer them to a Court under his administrative control, competent to dispose of them.
- (4) Proceedings taken cognizance of by, or transferred to a Civil Judge (Senior Division), as the case may be, under this section shall be disposed of by him subject to the rules applicable to like proceedings when disposed of by the District Judge.
- 24. Power to invest Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division) with Small Cause Court Jurisdiction.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, confer, within such local limits as it thinks fit, upon any Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division), the Jurisdiction of a Judge of a Court of small Causes under the Rajasthan Small Cause Courts Ordinance,1950 for the trial of suits cognizable by such Courts, upto such value, not exceeding five hundred rupees in the case of a Civil Judge (Senior Division) or one hundred rupees in the case of a Civil Judge (Junior Division), as it thinks fit, and may withdraw any jurisdiction so conferred:

Provided that the State Government may by notification in the Official Gazette delegate to the High Court its power under this section.

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2014 का विधेयक सं. 19

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्रःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश सं. 7), जिसे इसमें आगे मूल अध्यादेश कहा गया है, की धारा 5 में,-
 - (i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीश/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) का न्यायालय" और "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" और "सिविल न्यायाधीश/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ii) उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति " "सिविल न्यायाधीश/
 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड) का
 न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल
 न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश/
 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) का
 न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल
 न्यायाधीश (किनिष्ठ खण्ड)" " के स्थान पर अभिव्यक्ति
 " "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल

न्यायाधीश का न्यायालय" या "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/ अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" और "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश" " प्रतिस्थापित की जायेगी।

- 3. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 6 में, धारा 6 के विद्यमान खण्ड (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
 - "(3) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय; और
 - (4) सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायालय।"।
- 4. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 7 में, उप-धारा (2), (3) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों (किनष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं, उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" या "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशों" और "सिविल न्यायाधीश" या "सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- 5. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 11 में, उप-धारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई है, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 6. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 12 के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी

प्रयुक्त हुई हैं, उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों" और "सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेंगी।

- 7. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 12-क का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 12-क के शीर्षक में और उसकी उपधारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड)", "अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)" या "अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशां (विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशां (किनष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशां" या "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशां", "अतिरिक्त विरष्ठ सिविल न्यायाधीशां" या "अतिरिक्त विरष्ठ सिविल न्यायाधीशां" या "सिविल न्यायाधीशां" या "सिविल न्यायाधीशां" प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- 8. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 13 के शीर्षक में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड) और सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों" और स्वयं धारा में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीशं (विरष्ठ खण्ड) और सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) और सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 9. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 14 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 14 के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1), (3) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं, उनके स्थान पर अभिव्यक्तियां "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" और "सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- 10. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- "19. अन्य सिविल न्यायालयों की अधिकारिता.- (1) पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए,-
 - (i) विरष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को सिविल प्रकृति के किसी भी वाद या मूल कार्यवाहियों को सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी, जिसका मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक न हो, और
 - (ii) सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को किसी भी वाद या मूल कार्यवाहियों को सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी, जिसका मूल्य दो लाख रुपये से अधिक न हो।
- (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं.) के प्रारम्भ की तारीख को पहले से संस्थित किये गये वाद या कार्यवाहियां उसी न्यायालय द्वारा सुनी और अवधारित की जा सकेंगी जिसमें ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित की गयी थी।"।
- 11. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 21 में,-
 - (i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) तथा सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेगी:
 - (ii) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्तियों "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" और "पचास हजार रुपये", के स्थान पर अभिव्यक्तियां "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" और "पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेंगी; और
 - (iii) उप-धारा (2) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)", जहां जहां भी प्रयुक्त हुई

हैं उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश" और "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेंगी।

- 12. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 22 के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश(विरष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों(विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीशों (किनष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशों" या "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशों" और "सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- 13. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 23 के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1), (3) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई है उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 14. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 24 के शीर्षक में और स्वयं धारा में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों(विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों(किनष्ठ खण्ड)" जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशां" या "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशां" और "सिविल न्यायाधीश" या "सिविल न्यायाधीशां" प्रतिस्थापित की जायेंगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धन-संबंधी अधिकारिता के विषय में, अंतिम संशोधन के पश्चात् दो दशक से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, सिविल न्यायालयों को सौंपी गयी धन-संबंधी अधिकारिता में पुनरीक्षण की आवश्यकता है। साथ ही, सिविल न्यायालयों/पदों की वर्तमान नाम पद्धति को प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 05-04-2014 को आयोजित अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में उपर्युक्त दोनों विषयों अर्थात् सिविल न्यायालयों की धन-संबंधी अधिकारिता का पुनरीक्षण और न्यायालयों/पदों की नाम पद्धित में परिवर्तन किये जाने पर विचार किया था। इसिलए, राज्य सरकार ने पूर्ण न्यायालय बैठक में पारित किये गये संकल्प के अनुसरण में राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 के सुसंगत उपबंधों को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया है।

यह विधेयक पूर्वीक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

> वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 से लिये गये उद्धरण (1950 का अध्यादेश सं. 7)

- **5. व्यावृत्ति खण्ड.-** (1) xx xx xx xx xx
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति का दस्तावेज में "अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय" तथा "अधीनस्थ न्यायाधीश" के प्रति निर्देश क्रमश:, इस अध्यादेश के अधीन गठित तथा नियुक्त या गठित तथा नियुक्त समझे गये "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) का न्यायालय" और "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल ज्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" के प्रति किये गये समझे जायेंगे।
- (3) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियमिति, दस्तावेज, किसी भी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या अन्य कार्यवाहियों में "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश" के और "मुन्सिफ/अतिरिक्त मुन्सिफ का न्यायालय" या "मुन्सिफ/अतिरिक्त मुन्सिफ" के प्रति किये गये निर्देश क्रमश: इस अध्यादेश के अधीन यथागठित या नियुक्त या यथागठित या नियुक्त समझे गये "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) का न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) का न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) का न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) का न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड)" के प्रति किये गये समझे जायेंगे।
- 6. न्यायालयों के वर्ग.- राजस्थान राज्य में अधीनस्थ सिविल न्यायालय के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्:-
 - (1) 社 (2) xx xx xx xx xx
 - (3) सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) का न्यायालय; और
 - (4) सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) का न्यायालय।

- 7. न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं नियत तथा परिवर्तित करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अध्यादेश के अधीन किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तथा परिवर्तित कर सकेगी।
- (2) यदि एक ही स्थानीय अधिकारिता दो या अधिक सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) या दो या अधिक सिविल न्यायाधीशों (किनिष्ठ खण्ड) को समनुदेशित कर दी गई हो तो जिला न्यायाधीश, उनमें से प्रत्येक को, यथा स्थिति, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) द्वारा संजेय ऐसा सिविल कार्य समनुदेशित कर सकेगा जो वह, उच्च न्यायालय के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, उचित समझे।
- (3) जब किसी स्थानीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला सिविल कार्य जिला न्यायाधीश द्वारा उप-धारा (2) के अधीन दो या अधिक सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड) में से किसी एक को, या दो या अधिक सिविल न्यायाधीशों (किनिष्ठ खण्ड) में से किसी एक को समनुदेशित कर दिया गया हो, तो सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनिष्ठ खण्ड) द्वारा पारित डिक्री या आदेश केवल मात्र इसी कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि जिस मामले में वह पारित हुआ, वह, स्थानीय क्षेत्र के परे किसी स्थान में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ था यदि वह स्थान उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हो।
- (4) किसी लघुवाद न्यायालय का कोई न्यायाधीश जो सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) के रूप में भी नियुक्त किया गया हो, इस धारा के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) है।
 - (5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

11. जिला न्यायाधीश के पद का अस्थायी प्रभार.- (1) किसी जिला न्यायाधीश की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने, या बीमारी से या अन्यथा अपने कर्त्तव्य-पालन में उसके असमर्थ होने, या उस स्थान से जहां उसका न्यायालय है, उसकी अन्पस्थिति, की दशा में उसके

न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश या यदि उस न्यायालय के लिए कोई अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुआ हो या वह स्थान पर उपस्थित नहीं हो तो, यदि एक ही हो तो सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), और यदि एक से अधिक हो तो सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) के रूप में नियुक्ति की तारीख के आधार पर ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जो वहां उपस्थित हो, अपने सामान्य कर्त्तव्यों का त्याग किये बिना, जिला न्यायाधीश के पद का प्रभार संभालेगा तथा जिला न्यायाधीश द्वारा पुनः पद संभालने या उस पर सम्यक् रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा कार्यभार संभालने तक उसके पद का प्रभार संभाले रहेगा।

- (2) यथास्थिति, अतिरिक्त न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) जिला न्यायाधीश के पद का प्रभारी होने के दौरान उन नियमों के अध्यधीन जिन्हें उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाये, जिला न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
- 12. सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) तथा सिविल न्यायाधीशों (किनिष्ठ खण्ड) की संख्या नियत करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये नियुक्त किये जाने वाले सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) की एवं सिविल न्यायाधीशों (किनिष्ठ खण्ड) की संख्या नियत कर सकेगी तथा समय समय पर इस संख्या में परिवर्तन कर सकेगी।
- (2) इस अध्यादेश के प्रारंभ के समय कार्य कर रहे सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड) एवं सिविल न्यायाधीशों (किनष्ठ खण्ड) की संख्या, उप-धारा (1) के अधीन नियत की हुई समझी जायेगी जब तक उसमें फेरफार न किया जाये।
- 12-क. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीशों (किनिष्ठ खण्ड) की नियुक्ति.- (1) किसी सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनिष्ठ खण्ड) की, उसके समक्ष विचाराधीन सिविल कार्य के निर्वर्तन में सहायता देने के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय, राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को जब वह किसी अवकाश रिक्ति में स्थानापन्न रूप से कार्य न कर रहा हो तथा

प्रतिनियुक्ति पर न हो, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) अथवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

- (2) इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) अपनी धन संबंधी अधिकारिता की सीमाओं के अन्तर्गत ऐसे सिविल कार्य का निर्वर्तन करेगा जो उसे जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जाये।
- 13. सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) और सिविल न्यायाधीशों (किनष्ठ खण्ड) की नियुक्ति तथा रिक्तियां.- सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) और सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् इस निमित्त उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार की जायेंगी।
- 14. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) का पद रिक्त होने पर कार्यवाहियों का अन्तरण.- (1) किसी सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनिष्ठ खण्ड) की मृत्यु, पदत्याग, या हटाये जाने, या बीमारी से या अन्यथा अपने कर्त्तव्य पालन में उसके असमर्थ होने, या उस स्थान से जहां उसका न्यायालय है, उसकी अनुपस्थिति की दशा में, जिला न्यायाधीश उस सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनिष्ठ खण्ड) के न्यायालय में विचाराधीन समस्त कार्यवाहियों को या उनमें से किन्हीं को अपने न्यायालय या अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी भी न्यायालय में जो उन्हें निर्वर्तित करने में सक्षम हो, अन्तरित कर सकेगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन अन्तरित कार्यवाहियों का निर्वर्तन उसी प्रकार से किया जायेगा मानो वे उसी न्यायालय में संस्थित की गई थीं जिसको वे इस प्रकार अन्तरित की गई हैं।
- (3) परन्तु, जिला न्यायाधीश उप-धारा (1) के अधीन स्वयं अपने न्यायालय या किसी भी अन्य न्यायालय में अन्तरित किसी भी कार्यवाही को सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) या उसके उत्तराधिकारी के न्यायालय में पुन: अन्तरित कर सकेगा।

(4) उन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट घटना के समय सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) के न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, तथा जिनके संबंध में उस न्यायालय को अनन्य अधिकारिता प्राप्त है, जिला न्यायाधीश उस न्यायालय की सम्पूर्ण या किसी भी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा।

XX XX XX XX XX XX

- 19. अन्य सिविल न्यायालयों की अधिकारिता.- पूर्वीक्त के अध्यधीन रहते ह्ए,-
 - (i) सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड) के न्यायालय को सिविल प्रकृति का ऐसा कोई भी वाद या मूल कार्यवाही सुनने और अवधारित करने की अधिकारिता होगी जिसका मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक नहीं हो; और
 - (ii) सिविल न्यायाधीश (किनिष्ठ खण्ड) के न्यायालय को सिविल प्रकृति का ऐसा कोई भी वाद या मूल कार्यवाही सुनने और अवधारित करने की अधिकारिता होगी जिसका मूल्य पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं हो।

- 21. सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) तथा सिविल न्यायाधीशों (किनिष्ठ खण्ड) की डिक्री या आदेश की अपीलें.- (1) पूर्वोक्त के सिवाय, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) की डिक्री या आदेश की अपील,-
 - (क) जहां मूल वाद, जिसमें या जिससे उत्पन्न किन्हीं कार्यवाहियों में वह डिक्री या आदेश दिया गया हो, का मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक न हो, जिला न्यायाधीश को; और
 - (ख) किसी भी अन्य मामले में उच्च न्यायालय को, की जायेगी।

- (2) पूर्वोक्त के सिवाय, सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड) की किसी डिक्री या आदेश की अपील जिला न्यायाधीश को होगी।
 - (3) XX XX XX XX XX
- (4) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, उच्च न्यायालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी भी सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) की समस्त या किन्हीं भी डिक्रियों या आदेशों की अपीलें जो उप-धारा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश को की जाती हैं, ऐसे सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड) को, जो उस अधिसूचना में उल्लिखित किया जाये, की जायेंगी और तदुपरान्त अपीलें तदनुसार की जायेंगी।

XX XX XX XX XX

22. सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड) की अपीलें सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) को अन्तरित करने की शक्ति.- (1) जिला न्यायाधीश अपने पास विचाराधीन किसी भी अपील को जो सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड) की डिक्रियों या आदेशों के विरूद्ध की गई हों अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किसी भी सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) को अन्तरित कर सकेगा।

- 23. कितपय कार्यवाहियों में जिला न्यायालय की अधिकारिता का सिविल न्यायाधीश (विरिष्ठ खण्ड) द्वारा प्रयोग.- (1) उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी सिविल न्यायाधीश (विरिष्ठ खण्ड) को इसमें ठीक इसके पश्चात् वर्णित किसी भी कार्यवाही का या उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट उन कार्यवाहियों के किसी वर्ग का संज्ञान करने के लिए, या किसी जिला न्यायाधीश को उसके नियंत्रण के अधीन किसी सिविल न्यायाधीश (विरिष्ठ खण्ड) को उसके अन्तरण के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।
 - (2) XX XX XX XX XX
- (3) ऐसी किन्हीं भी कार्यवाहियों को, जिनका सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड) द्वारा संज्ञान किया गया हो या जो उसे अन्तिरत की गई हों, जिला न्यायाधीश प्रत्याहत कर सकेगा और उन्हें या तो स्वयं निपटा

सकेगा या उन्हें निपटाने के लिये, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी सक्षम न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा।

- (4) वे कार्यवाहियां जिनका इस धारा के अधीन सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) द्वारा संज्ञान किया गया हो, या जो उसको अन्तरित की गई हों, यथास्थिति उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए निपटाई जायेंगी, जो ऐसी ही कार्यवाहियों पर, जब वे जिला न्यायाधीशों द्वारा निपटाई जायें, लागू होते हैं।
- 24. सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड) एवं सिविल न्यायाधीशों (किनिष्ठ खण्ड) को लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता से विनिहित करने की शिक्त.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, िकसी सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड) या सिविल न्यायाधीश (किनिष्ठ खण्ड) को, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जैसी वह उचित समझे, ऐसे वादों के विचारण हेतु जो ऐसे न्यायालयों द्वारा संज्ञेय किये जाते हैं और जिनके मूल्य सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड) की दशा में पांच सौ रुपये अथवा सिविल न्यायाधीश (किनिष्ठ खण्ड) की दशा में सौ रुपये से अधिक न हों, जैसे वह उचित समझे, राजस्थान लघुवाद न्यायालय अध्यादेश 1950 के अधीन लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता प्रदत्त कर सकेगी, और इस प्रकार प्रदत्त किसी भी अधिकारिता को प्रत्याहत कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन की अपनी शक्ति उच्च न्यायालय को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

<u>2014 का विधेयक सं.19</u>

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

तौफीक हुसैन हाशमी, उप सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 19 of 2014

THE RAJASTHAN CIVIL COURTS (AMENDMENT) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

30 RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

 \boldsymbol{A} Billfurther to amend the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950. (To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) TOFEEQUE HUSAIN HASHMI, **Deputy Secretary.**

(Vasundhara Raje, Minister-Incharge)